



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**वर्ग नवम सत्र 2013-15 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना ।**

**विज्ञप्ति संख्या - 66/2013**

एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के सत्र 2013-15 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्यालयवार नवम वर्ग में नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर पंजीयन हेतु सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र (OMR Sheet) का वितरण दिनांक 28.10.2013 से 18.11.2013 तक परिषद् कार्यालय, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से किया जायेगा। प्रति सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र (OMR Sheet) हेतु ₹50/- की दर से शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो "झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से देय एवं राँची/संचाल परगना प्रमण्डल के लिए दुमका/पलामू प्रमण्डल के लिए डाल्टनगंज में भुगतये हो, जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही पंजीयन आवेदन प्रपत्र (OMR Sheet) निर्गत किया जा सकेगा।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के प्रधानों को उनके पंजीयन एवं अनुमति आवेदन-प्रपत्रों को अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है:-

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
4. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है।

उक्त क्रियाशीलन के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

स्वतंत्र छात्र/छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम् की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे।

1. स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय, आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं है, वे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी पब्लिक से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूल प्रति आवेदन-प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे।
2. पंजीयन आवेदन-प्रपत्र में विषयों का चयन अच्छी तरह पढ़कर ही किया जाय।
3. दिनांक 01.03.2001 के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।
4. पंजीयन आवेदन-प्रपत्र (OMR Sheet) में श्वेत-श्याम (Black & White) फोटो ही चिपकावें।
5. पंजीयन आवेदन-प्रपत्र (OMR Sheet) काली/नीली स्याही से ही भरे जायेंगे। आवेदन-प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट एवं सही भरे जायें अन्यथा अशुद्धि होने पर संशोधन नहीं किया जायेगा। OMR Sheet भरने हेतु एक निर्देशिका अलग से उपलब्ध कराई जा रही है। छात्र/अभिभावक एवं प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि उक्त निर्देशिका को पढ़कर OMR Sheet की छाया प्रति कराकर भरने का अभ्यास करें तत्पश्चात् OMR Sheet की मूल्य प्रति भरा जाय।
- 6) पंजीयन आवेदन-प्रपत्र (OMR Sheet) पर ओवर राइटिंग करने, Whitener लगाने या काट-छाँट होने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्रा पुनः नया OMR Sheet विद्यालय से प्राप्त कर भरना अनिवार्य होगा।
- 7) स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखण्ड राज्य के निवासी होने का आवासीय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 8) डाक द्वारा भेजा गया आवेदन-पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**नोट:** 1) कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उत्कृष्ट उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषित नहीं करेंगे।  
2) किसी भी पुराने आवेदन-प्रपत्र का उपयोग नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो पंजीयन स्वीकार नहीं होगा।  
3) सभी प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों, अभिभावकों, छात्र/छात्राओं एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि **पंजीयन से संबंधित शुल्कादि एवं तिथि वाद में प्रकाशित की जायेगी।**

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./4889/13/SECY/538/13

Dt. 26.10.13

D.O.P : 27.10.13